[2018] 1 एससीआर 641

दिनेश कुमार कालिदास पटेल

बनाम

गुजरात राज्य

(2018 की आपराधिक अपील संख्या 265-266) फरवरी 12,2018

[कुरियन जोसेफ और अमितावा रॉय, जे.जे.]

दंड संहिता, 1860:

धारा 201 - क्या मुख्य अपराध के आरोपी को बरी करते समय s.201 के तहत दोषसिद्धि को बरकरार रखा जा सकता है - माना गया: s.201 के तहत आरोप स्वतंत्र रूप से लगाया जा सकता है और दोषसिद्धि को भी बरकरार रखा जा सकता है, यदि अभियोजन यह स्थापित करने में सक्षम है कि अपराध किया गया था, जिस व्यक्ति पर अपराध का आरोप लगाया गया है, उसके पास इस बात का ज्ञान या विश्वास करने का कारण था कि अपराध किया गया है, उक्त व्यक्ति ने सबूतों को गायब कर दिया है और गायब होने का ऐसा कार्य अपराधी को कानूनी सजा से बचाने के इरादे से किया गया है - केवल संदेह है पर्याप्त नहीं, यह साबित किया जाना चाहिए कि अभियुक्त को पता था या उसके पास यह विश्वास करने का कारण था कि अपराध किया गया है और फिर भी उसने अपराधी को पकड़ने के लिए सबूत गायब कर दिए।

धारा 201 - अप्राकृतिक मौत - अभियोजन पक्ष का मामला यह था कि आरोपी की पत्नी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली - अंतिम संस्कार में मृतक के पिता और भाई शामिल हुए - चार महीने के बाद मृतक के पिता ने आरोपी के खिलाफ s498 Aऔर s.201 सहित विभिन्न धाराओं के तहत आपराधिक कार्यवाही शुरू की - ट्रायल कोर्ट ने आरोपी को s.498A और s.201 के तहत दोषी ठहराया, हालांकि, उच्च न्यायालय ने s.498A के तहत दोषसिद्धि को रद्द कर दिया, जबकि s.201 के तहत दोषसिद्धि को इस आधार पर बरकरार रखा कि अपीलकर्ता ने पुलिस को अप्राकृतिक मौत की सूचना नहीं दी थी और कोई पोस्टमार्टम नहीं किया गया था। - अपील पर, माना गया: न तो ट्रायल कोर्ट और न ही हाई कोर्ट के पास ऐसा कोई मामला था कि अपीलकर्ता द्वारा अपीलकर्ता के खिलाफ s.202 के तहत पुलिस को जानकारी देने में कोई जानबूझकर चूक की गई थी - केवल इस तथ्य से कि मृतक की कथित तौर पर अप्राकृतिक मौत नहीं हुई। s.201 के तहत आरोप लाने के लिए पर्याप्त - जब तक अभियोजन यह स्थापित करने में सक्षम नहीं था कि अभियुक्त को पता था या उसके पास यह

विश्वास करने का कारण था कि अपराध किया गया है और उसने कुछ ऐसा किया है जिससे साक्ष्य के अपराध को गायब कर दिया गया है, उसे दोषी नहीं ठहराया जा सकता है - ऐसा नहीं था अपीलकर्ता के खिलाफ इस तरह के आरोप - मृतक का अंतिम संस्कार उसके परिवार के सदस्यों की उपस्थिति में किया गया था - उन्हें उस समय किसी अपराध का कोई संदेह नहीं था - निजी शिकायत तीन महीने से अधिक समय के बाद दर्ज की गई थी - यह शिकायतकर्ता का यह भी मामला नहीं था कि उसने शव के पोस्टमार्टम के लिए अनुरोध किया था और अंतिम संस्कार करने से पहले पुलिस को सूचना दी जानी चाहिए थी - तथ्यों और परिस्थितियों में, अपीलकर्ता की धारा 201 के तहत दोषसिद्धि कायम रखने योग्य नहीं थी।

न्यायालय ने अपील स्वीकार करते हुए

माना: 1. उच्च न्यायालय द्वारा केवल इस आधार पर धारा 201 के तहत दोषसिद्धि को बरकरार रखना उचित नहीं है कि पुलिस को कोई सूचना नहीं दी गई थी और पोस्टमार्टम नहीं किया गया था। ट्रायल कोर्ट ने इस तथ्य पर ध्यान दिया है कि मृतक के पिता और उसका भाई (जो एक डॉक्टर है) मृतक के अंतिम संस्कार में शामिल हुए थे और उनमें से किसी को भी उस समय किसी अपराध के बारे में कोई शिकायत या संदेह नहीं था। . सेशन कोर्ट ने मृतक द्वारा छोड़े गए सुसाइड नोट का भी संज्ञान लिया है जिसमें उसने सारा दोष अपने ऊपर ले लिया है। फिर भी, सत्र अदालत के फैसले के पैराग्राफ-16 से निकाले गए विचार से, अदालत ने यह विचार किया है कि मृतक ज्यादातर समय अकेले रहने के कारण अवसाद की स्थिति में रहा होगा और यह यातना के समान है। अपीलकर्ता को उच्च न्यायालय द्वारा धारा 498ए के तहत अपराध से बरी कर दिया गया है, और यह सही भी है। अभियोजन पक्ष आईपीसी की धारा 201 के तहत सामग्री को भी संतुष्ट नहीं कर पाया है। न तो सत्र न्यायालय और न ही उच्च न्यायालय के पास ऐसा कोई मामला है कि अपीलकर्ता द्वारा पुलिस को जानकारी देने में कोई जानबूझकर चूक की गई है। यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि अभियोजन पक्ष के पास अपीलकर्ता के खिलाफ आईपीसी की धारा 202 के तहत कोई मामला नहीं है। [पैरा 20]

2. अपीलकर्ता के विरुद्ध ऐसा कोई आरोप नहीं है। मृतक का अंतिम संस्कार उसके परिवार के सदस्यों की उपस्थिति में किया गया। उस समय उन्हें किसी अपराध के घटित होने का कोई संदेह नहीं था। निजी शिकायत तीन महीने से अधिक समय के बाद दर्ज की गई थी। आईपीसी की धारा 202 के तहत अप्राकृतिक मौत की जानकारी पुलिस को जानबूझकर न देने का कोई आरोप नहीं है. शिकायतकर्ता का मामला यह भी नहीं है कि उसने शव के पोस्टमार्टम के लिए अनुरोध किया था और अंतिम संस्कार करने से पहले पुलिस को सूचना दी जानी चाहिए थी। उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों में, सत्र न्यायालय द्वारा आईपीसी की धारा 201

के तहत अपीलकर्ता को दोषी ठहराना और उच्च न्यायालय द्वारा इसे बरकरार रखना उचित नहीं है। [पैरा 22,23]

हनुमान और अन्य बनाम राजस्थान राज्य **(1994) सप्लिमेंट 2 एससीसी 39;** *पलविंदर कौर बनाम पंजाब राज्य एआईआर* **1952 एससी 354: [1952] एससीआर 94;** *सुलेमान रहमान मुलानी और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य एआईआर* **1968 एससी 829: [1968] एससीआर 515;** *राम सरन महतो और अन्य बनाम बिहार राज्य* **(1999) 9 एससीसी 486: [1999] 2 पूरक एससीआर 250;** *वीएल. ट्रेसा बनाम केरल राज्य* **(2001) 3 एससीसी 549: [2001] 1 एससीआर 973;** *सुखराम बनाम महाराष्ट्र राज्य* **(2007) 7 एससीसी 502: [2007] 9 एससीआर 44;** *सौ विजया @ बेबी बनाम महाराष्ट्र राज्य* **(2003) 8 एससीसी 296: [2003] 3 पूरक एससीआर 340;** *कर्नाटक राज्य बनाम मदेश* **(2007) 7 एससीसी 35: [2007] 8 एससीआर 757;** *हनुमान और अन्य बनाम राजस्थान राज्य* **(1994) सप्ल। 2 एससीसी 39 - पर भरोसा किया गया।**

श्रीमती कलावती और रणजीत सिंह बनाम हिमाचल प्रदेश ***राज्य*** **एआईआर 1953 एससी 131: [1953] एससीआर 546 - प्रतिष्ठित।**

<u>केस कानून संदर्भ</u>

[1952] एससीआर 94	**पैरा 7**	**पर निर्भर था**
[1953] एससीआर 546 ने	**पैरा 7**	**को प्रतिष्ठित किया**
[1968] एससीआर 515	**पैरा 7**	**पर निर्भर था**
[1999] 2 पूरक एससीआर 250	**पैरा 11**	**पर निर्भर था**
[2001] 1 एससीआर 973	**पैरा 12**	**पर निर्भर था**
[2007] 9 एससीआर 44	**पैरा 13**	**पर निर्भर था**
[2003] 3 पूरक एससीआर 340	**पैरा 13**	**पर निर्भर था**
[2007] 8 एससीआर 757	**पैरा 14**	**पर निर्भर था**
(1994) पूरक। 2 एससीसी 39	**पैरा 21**	**पर निर्भर था**

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: 2018 की आपराधिक अपील संख्या 265-266

1995 की आपराधिक अपील संख्या 939 और 1995 की आपराधिक अपील संख्या 1132 में अहमदाबाद में गुजरात उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 16.12.2015 से।

अपीलकर्ता के वकील पी.बी. सुरेश, विपिन नायर, अभय प्रताप सिंह।

डी. एन. रे, सुश्री हेमन्तिका वाही, सुश्री जेसल वाही, सुश्री शोधिका शर्मा, प्रतिवादी के वकील। न्यायालय का निर्णय **कुरियन, जे.** द्वारा सुनाया गया:

1. अनुमति दी

2. अपीलकर्ता को सत्र न्यायाधीश, मेहसाणा (गुजरात राज्य) द्वारा भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 498 ए और 201 (इसके बाद "आईपीसी" के रूप में संदर्भित) के तहत अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया था। भारतीय दंड संहिता की धारा 498क के तहत एक वर्ष के सश्रम कारावास और 1,000/- रुपये के जुर्माने के साथ तीन माह की डिफ़ॉल्ट सजा तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 201 के तहत अपराध के लिए छह माह और 500/- रूपये के जुर्माने के साथ एक माह की डिफ़ॉल्ट सजा दी गई।

3. यह एक ऐसा मामला है जहां अपीलकर्ता की पत्नी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना 26.12.1990 को घटित हुई। इसकी सूचना मृतक के परिजनों को दी गयी. मृतक के पिता और भाई, जो पेशे से डॉक्टर हैं, अंतिम संस्कार में शामिल हुए। तीन महीने से अधिक समय के बाद, मृतक के पिता ने 01.04.1991 को कादी में न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष शिकायत दर्ज की। इसकी जांच की गई, और अपीलकर्ता पर आईपीसी की धारा 120बी और दहेज निषेध अधिनियम, 1961 की धारा 4 के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 304बी, 306, 498ए और 201 के तहत आरोप लगाए गए। अपीलकर्ता के साथ, सात अन्य व्यक्तियों को भी मुकदमे का सामना करना पड़ा। दिनांक 12.09.1995 के निर्णय द्वारा, सत्र न्यायाधीश ने अपीलकर्ता को आईपीसी की धारा 498ए और 201 के तहत दोषी ठहराया लेकिन सात अन्य को बरी कर दिया।

4. 1995 में दायर अपीलों पर वर्ष 2015 में सुनवाई की गई और, आक्षेपित निर्णय के अनुसार, अपीलकर्ता को आईपीसी की धारा 498 ए के तहत अपराध से बरी कर दिया गया, लेकिन आईपीसी की धारा 201 के तहत दोषसिद्धि बरकरार रखी गई। इस प्रकार व्यथित होकर, अपीलकर्ता इस न्यायालय के समक्ष है।

5. अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वकील और राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान वकील को सुना।

6. गुण-दोष पर कई विवाद उठाए गए हैं। इसके अलावा, अपीलकर्ता ने कानून का सवाल भी उठाया है कि क्या उसे आईपीसी की धारा 498ए के तहत मुख्य अपराध से बरी करते हुए आईपीसी की धारा 201 के तहत दोषसिद्धि को बरकरार रखा जा सकता था।

7. विद्वान वकील ने **पलविंदर कौर बनाम पंजाब राज्य**, **श्रीमती कलावती और रणजीत सिंह बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य**, और **सुलेमान रहमान मुलानी और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य** में इस न्यायालय के निर्णयों पर भरोसा किया है।

8. **पलविंदर कौर** (सुप्रा) में, इस न्यायालय ने इस प्रकार कहा:

> "**14.** भारतीय दंड संहिता की धारा 201 के तहत आरोप स्थापित करने के लिए, यह साबित करना आवश्यक है कि कोई अपराध किया गया है, - केवल यह संदेह करना कि अपराध किया गया है, पर्याप्त नहीं है, - कि अभियुक्त को पता था या उसके पास विश्वास करने का कारण था ऐसा अपराध किया गया था और आवश्यक ज्ञान के साथ और अपराधी को कानूनी सजा से बचाने के इरादे से उसके सबूत गायब कर दिए गए या ऐसे अपराधों के बारे में गलत जानकारी दी गई, यह जानते हुए या विश्वास करने का कारण कि यह झूठ है।"

इस मामले में दोषसिद्धि को अंततः उपरोक्त कानूनी स्थिति और तथ्यों के आधार पर रद्द कर दिया गया।

9. **कलावती** (सुप्रा) में संविधान पीठ का फैसला इस मामले में ज्यादा मददगार नहीं हो सकता क्योंकि तथ्य पूरी तरह से अलग हैं। सह-अभियुक्त को मुख्य अपराध के लिए आईपीसी की धारा 302 के तहत दोषी ठहराया गया था, और उस मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों में, इस अदालत ने कलावती को केवल आईपीसी की धारा 201 के तहत दोषी ठहराना उचित समझा।

10. **पलविंदर कौर** (सुप्रा) पर भरोसा करते हुए, **सुलेमान रहमान** (सुप्रा) में इस न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी की:

> "6. आईपीसी की धारा 201 के तहत अपीलकर्ता 2 की सजा धारा 304-ए टीपीसी के तहत अपीलकर्ता 1 की सजा की स्थिरता पर निर्भर करती है। यदि अपीलकर्ता 1 को उस प्रावधान के तहत सही रूप से दोषी ठहराया गया था, तो पाए गए तथ्यों पर आईपीसी की धारा 201 के तहत अपीलकर्ता 2 की सजा को चुनौती नहीं दी जा सकती। लेकिन दूसरी ओर, यदि धारा 304-ए टीपीसी के तहत अपीलकर्ता 1 की सजा बरकरार नहीं रखी जा सकती है, तो धारा 201 आईपीसी के तहत दूसरे अपीलकर्ता की सजा को

रद्द करना होगा, क्योंकि धारा 201 के तहत आरोप स्थापित करने के लिए अभियोजन पक्ष पहले यह साबित करना होगा कि कोई अपराध किया गया है, न कि केवल यह संदेह है कि यह किया जा सकता है - और यह कि आरोपी को यह पता है या उसके पास विश्वास करने का कारण है कि ऐसा अपराध किया गया है, और अपराधी को कानूनी सजा से बचाने के इरादे से किया गया है, जिसके कारण उसके सबूत गायब हो गए। आईपीसी की धारा 201 के तहत अपराध को अंजाम देने के लिए अपराध के घटित होने का प्रमाण एक आवश्यक शर्त है - *पलविंदर कौर बनाम पंजाब राज्य* में इस न्यायालय का निर्णय देखें।

यह ध्यान रखना आवश्यक है कि उपरोक्त मामले में धारा 201 के तहत बरी करने का कारण यह था कि यह दिखाने के लिए कोई सबूत नहीं था कि अपीलकर्ता नंबर 1 के जल्दबाजी और लापरवाही भरे कार्य के कारण मृतक की मृत्यु हुई। इसलिए, अदालत ने अपीलकर्ता संख्या 2 को धारा 201 के तहत बरी कर दिया। पैराग्राफ 6 की टिप्पणी को उस पृष्ठभूमि में देखा और विश्लेषण किया जाना चाहिए।

11. **राम शरण महतो और अन्य** बनाम **बिहार राज्य** में. इस न्यायालय ने **कलावती** (सुप्रा) और **पलविंदर कौर** (सुप्रा) पर चर्चा की। पैराग्राफ-13 से 15 में यह माना गया है कि आईपीसी की धारा 201 के तहत अपराधी को दोषी ठहराने के लिए मुख्य अपराध के तहत दोषसिद्धि आवश्यक नहीं है। उद्धरण के लिए:

"**13.** यह आवश्यक नहीं है कि धारा 201 के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराए जाने के लिए अपराधी को स्वयं मुख्य अपराध का दोषी पाया जाए। न ही यह बिल्कुल आवश्यक है कि किसी और को मुख्य अपराध का दोषी पाया जाए। बहरहाल, यह जरूरी है कि अभियोजन पक्ष को दो परिसर स्थापित करने चाहिए। पहला यह कि कोई अपराध किया गया है और दूसरा यह कि अभियुक्त को इसके बारे में पता था या उसके पास उस अपराध के घटित होने पर विश्वास करने के कारण थे। तभी और केवल तभी अभियोजन सफल हो सकता है, बशर्ते अपराध के शेष अभिधारणाएँ भी स्थापित हों।

14. उपरोक्त स्थिति 1952 में *पलविंदर कौर बनाम पंजाब राज्य* मामले में इस न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ द्वारा अच्छी तरह से कही गई है:

"धारा 201, दंड संहिता, ए के तहत आरोप स्थापित करने के लिए यह साबित करना आवश्यक है कि अपराध किया गया है, - केवल संदेह है कि यह किया गया है पर्याप्त नहीं है - कि अभियुक्त जानता था या उसके पास विश्वास करने का कारण था कि ऐसा अपराध किया गया था और अपेक्षित ज्ञान के साथ और अपराधी को कानूनी सजा

से बचाने के इरादे से उसके सबूतों को गायब कर दिया गया है या गलत जानकारी दी गई है बी ऐसे अपराधों के संबंध में यह जानते हुए या विश्वास करने का कारण है कि यह गलत है।

15. यह याद दिलाना उचित होगा कि पीठ ने चेतावनी देते हुए एक नोट दिया था कि अदालत को अपने निष्कर्ष को संदेहों पर आधारित करने के खतरे से खुद को सुरक्षित रखना चाहिए, भले ही वे कितने भी मजबूत क्यों न हों। कलावती बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य मामले में, इस न्यायालय की एक संविधान पीठ ने, इसमें कोई संदेह नहीं है, एक आरोपी को आईपीसी की धारा 201 के तहत दोषी ठहराया है, भले ही उसे धारा 302 के तहत अपराध से बरी कर दिया गया हो। लेकिन निष्कर्ष में प्रवेश करने के बाद इस न्यायालय द्वारा उक्त पाठ्यक्रम अपनाया गया था कि एक अन्य आरोपी ने हत्या की थी और अपीलकर्ता ने पूरी जानकारी के साथ इसके सबूत नष्ट कर दिए। *नाथू बनाम यूपी राज्य* के बाद के फैसले में इस न्यायालय ने निम्नलिखित शब्दों में चेतावनी दोहराई है: (एससीसी पृष्ठ 575, पैरा 1)

"धारा 201 के तहत दोषसिद्धि दर्ज करने से पहले, अदालत की संतुष्टि के लिए यह दिखाया जाना चाहिए कि अभियुक्त को पता था या उसके पास विश्वास करने का कारण था कि कोई अपराध किया गया है और यह जानकारी प्राप्त करने के बाद, शव को ठिकाने लगाकर अपराधी को पकड़ने की कोशिश की गई।"

12. **वीएल ट्रेसा** बनाम **केरल राज्य** में, इस न्यायालय ने पैराग्राफ 12 में आईपीसी की धारा 201 के तहत अपराध के आवश्यक तत्वों पर चर्चा की है:

"**12**. प्रयुक्त भाषा को ध्यान में रखते हुए, निम्नलिखित तत्व सामने आते हैं:

(I) अपराध करना;

(II) धारा 201 के तहत अपराध का आरोप लगाने वाले व्यक्ति के पास यह विश्वास करने का ज्ञान या कारण होना चाहिए कि मुख्य अपराध किया गया है;

(III) आईपीसी की धारा 201 के तहत अपराध के लिए आरोपित व्यक्ति को सबूतों को गायब करना चाहिए था या मुख्य अपराध के संबंध में गलत जानकारी देनी चाहिए थी; और

(IV) यह कार्य अपराधी को कानूनी सजा से बचाने के इरादे से किया जाना चाहिए था।

13. **सुखराम** बनाम **महाराष्ट्र राज्य** में, इस न्यायालय ने **कलावती** (सुप्रा), **पलविंदर कौर** (सुप्रा), **सुलेमान रहमान** (सुप्रा) और **वीएल ट्रेसा** (सुप्रा) सहित अन्य पर चर्चा की। आईपीसी की धारा 201 के तहत दोषसिद्धि के लिए आवश्यक सामग्री पर पैराग्राफ 18 में चर्चा की गई है:

> "**18.** अनुभाग के पहले पैराग्राफ में अपराध गठित करने के सिद्धांत शामिल हैं जबकि शेष तीन पैराग्राफ प्रत्येक स्थिति में अपराध की डिग्री के आधार पर दंड के तीन अलग-अलग स्तर निर्धारित करते हैं। आईपीसी की धारा 201 के तहत किसी अपराध को अंजाम देने के लिए, स्थापित की जाने वाली सामग्रियां हैं: (7) अपराध का प्रतिबद्ध होना; (यदि) धारा 201 के तहत अपराध का आरोप लगाए गए व्यक्ति के पास यह विश्वास करने का ज्ञान या कारण होना चाहिए कि अपराध किया गया है; (ii) उक्त अपराध के लिए आरोपित व्यक्ति को सबूतों को गायब करना चाहिए था; और (iv) यह कृत्य अपराधी को कानूनी सज़ा से बचाने के इरादे से किया जाना चाहिए था या उस इरादे से उसे अपराध के संबंध में जानकारी देनी चाहिए थी, जिसके बारे में वह जानता था या मानता था कि वह झूठ है। यह स्पष्ट है कि अपराध करने वाले अपराधी की जांच करने का इरादा आरोपी का प्राथमिक और एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए। इस बात पर जोर देने की शायद ही कोई जरूरत है कि आईपीसी की धारा 201 के तहत किसी अपराध को सामने लाने के लिए केवल संदेह ही पर्याप्त नहीं है। यह साबित करने के लिए रिकॉर्ड पर ठोस सबूत होने चाहिए कि आरोपी को यह पता था या उसके पास पर्याप्त जानकारी थी जिससे उसे विश्वास हो सके कि अपराध किया गया था और आरोपी ने ज्ञात या अज्ञात अपराधी का पता लगाने के लिए सबूतों को गायब कर दिया है।"

सौ विजया बेबी बनाम **महाराष्ट्र राज्य'** में, हालांकि इस न्यायालय ने माना कि **वीएल ट्रेसा** (सुप्रा) में निर्णय से राज्य को विशेष तथ्यों में कोई सहायता नहीं मिली, लेकिन उसने दोहराया कि "कानूनी तौर पर कोई झगड़ा नहीं है*" सिद्धांत यह है कि आईपीसी की धारा 302 के तहत अपराध के संदर्भ में बरी होने के बावजूद, किसी दिए गए मामले में धारा 201 के तहत दोषसिद्धि की अनुमति है।*

14. **<u>सौ विजवा</u>** (सुप्रा) और **<u>वीएल ट्रेसा</u>** (सुप्रा) के निर्णयों को **<u>कर्नाटक राज्य</u>** बनाम **<u>मदेशा</u>** में देखा गया, जबकि राज्य की अपील खारिज कर दी गई थी, इस न्यायालय ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि:

"9. यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि इस बात पर कोई विवाद नहीं हो सकता है कि वी.एल. ट्रेसा और सौ विजया मामलों में जो कहा गया है, उसके मद्देनजर मुख्य अपराध स्थापित नहीं होने पर भी धारा 201 लागू होगी..."

15. इस प्रकार, कानून अच्छी तरह से स्थापित है कि आईपीसी की धारा 201 के तहत स्वतंत्र रूप से आरोप लगाया जा सकता है और दोषसिद्धि भी बरकरार रखी जा सकती है, यदि अभियोजन यह स्थापित करने में सक्षम है कि अपराध किया गया था, तो जिस व्यक्ति पर अपराध का आरोप लगाया गया था। यह विश्वास करने का ज्ञान या कारण कि अपराध किया गया था, उक्त व्यक्ति ने सबूतों को गायब कर दिया है और गायब होने का ऐसा कार्य अपराधी को कानूनी सजा से बचाने के इरादे से किया गया है। केवल संदेह पर्याप्त नहीं है, यह साबित किया जाना चाहिए कि आरोपी को पता था या उसके पास यह विश्वास करने का कारण था कि अपराध किया गया है और फिर भी उसने अपराधी को पकड़ने के लिए सबूत गायब कर दिए। अपराधी या तो स्वयं या कोई अन्य व्यक्ति हो सकता है।

16. इस प्रकार कानूनी स्थिति का विश्लेषण करने के बाद, हम तथ्यात्मक मैट्रिक्स पर लौटेंगे और देखेंगे कि क्या आईपीसी की धारा 201 के तहत मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में दोषसिद्धि बरकरार रखी जा सकती है।

17. इस संदर्भ में सत्र न्यायाधीश के फैसले का विश्लेषण काफी प्रासंगिक होगा। अनुच्छेद-16 में, तथ्यों का विश्लेषण करने और कथित अपराध के सूक्ष्म विवरणों का उल्लेख करने के बाद, अदालत ने निम्नलिखित निष्कर्ष निकाला है:

"16...इस तरह यह पूरा मामला बताता है कि आरोपी नं. 1 बहुत संदिग्ध था. उन्होंने शव के पीएम की कार्रवाई नहीं की है। उन्होंने पुलिस के सामने तथ्य नहीं बताए हैं और अहमदाबाद से मायके वालों के पहुंचने से पहले ही शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया है। इस प्रकार, अभिलेख पर मौजूद तथ्यों पर विचार करते हुए मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि अभियुक्त नं. 1 पति के रूप में अपने कर्तव्य में विफल रहा है। पति ने पत्नी को बंगले में रखा है और ज्यादातर समय उससे दूर रहता है। यह एक पत्नी के लिए बहुत ही यातनापूर्ण और परेशान करने वाला होता है. इस प्रकार मेरी राय के अनुसार अभियोजन पक्ष द्वारा रिकॉर्ड पर तथ्यों और विशेष रूप से 0-1 पर चिट के आधार पर यह साबित किया गया है कि आरोपी संख्या 1 की ओर से मृत लीला पर मानसिक उत्पीड़न किया गया था। तथ्य यह है कि आरोपी नंबर 1 ने पुलिस को सूचित नहीं किया है, जबकि अप्राकृतिक मौत हुई है और बिना पोस्टमार्टम कराए और पुलिस को सूचित किए बिना अंतिम संस्कार भी कर दिया गया है। इस प्रकार मेरे

विचार से अभियुक्त नं. 1 आईपीसी की धारा 498 (ए) और 201 के तहत प्रथम दृष्टया अपराध का दोषी है और इसलिए अभियोजन पक्ष ने मामले को आंशिक रूप से पुष्टि में साबित कर दिया है।

18. हालांकि, उच्च न्यायालय ने अपील में यह विचार किया कि अपीलकर्ता आईपीसी की धारा 498ए के तहत दोषी ठहराए जाने के लिए उत्तरदायी नहीं है। हालाँकि, आईपीसी की धारा 201 के तहत उनकी सजा बरकरार रखी जानी थी। उद्धरण के लिए:

"5... हमने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के नवीनतम निर्णयों की कसौटी पर साक्ष्यों की पुनः सराहना और पुनर्मूल्यांकन किया है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि शिकायत घटना के लगभग चार महीने की अवधि के बाद दर्ज की गई थी, तथ्य यह है कि मृतक का कोई पोस्टमार्टम नहीं किया गया था। अगर बचाव पक्ष की बात मान भी ली जाए तो भी यह असामयिक और अप्राकृतिक मौत थी और इसलिए कानून के तहत कम से कम पुलिस को मौत की सूचना देने और मृतक का पोस्टमार्टम कराने की अनिवार्य आवश्यकताएं पूरी नहीं हुईं। बेशक, यह दिखाने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं आया है कि पोस्टमार्टम किया गया था और/या पुलिस शिकायत तुरंत दर्ज की गई थी। उक्त पहलू पर विचार करते हुए, हमारे पास यह मानने के सभी कारण हैं कि अपराध आईपीसी की धारा 201 के तहत बनता है। हालाँकि, जहां तक आईपीसी की धारा 498ए के तहत दंडनीय अपराध का सवाल है, हम आरोपी नंबर 1 के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री आनंदजीवाला की दलील पर विश्वास करते हैं कि लगभग चार महीने की अवधि के बाद, शिकायत दर्ज की गई थी और वहां अभियोजन पक्ष के मामले को साबित करने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं है कि दहेज की चाह में मृतिका के साथ क्रूरता की गई थी और इसके विपरीत, आरोपी नंबर 1 ने मृतिका के पिता की मदद की थी और 1 लाख रुपये दिए थे। इन परिस्थितियों में, हमारी राय है कि विद्वान ट्रायल जज ने आईपीसी की धारा 201 के तहत दंडनीय अपराध के लिए आरोपी नंबर 1 को सही तरीके से दोषी ठहराया है, हालांकि, आईपीसी की धारा 498 ए के तहत दंडनीय अपराध के लिए आरोपी नंबर 1 को दोषी ठहराने में गलती की है और यह टिकाऊ नहीं है।

19. इस प्रकार, आईपीसी की धारा 201 के तहत दोषसिद्धि को बनाए रखने का एकमात्र आधार यह है कि अपीलकर्ता ने पुलिस को अप्राकृतिक मौत की सूचना नहीं दी और कोई पोस्टमार्टम नहीं किया गया।

20. हमें डर है कि उच्च न्यायालय द्वारा केवल इस आधार पर धारा 201 के तहत दोषसिद्धि को बरकरार रखना उचित नहीं है कि पुलिस को कोई सूचना नहीं दी गई थी और

पोस्टमार्टम नहीं किया गया था। ट्रायल कोर्ट ने इस तथ्य पर ध्यान दिया है कि मृतक के पिता और उसका भाई (जो एक डॉक्टर है) मृतक के अंतिम संस्कार में शामिल हुए थे और उनमें से किसी को भी उस समय किसी अपराध के बारे में कोई शिकायत या संदेह नहीं था। . सेशन कोर्ट ने मृतक द्वारा छोड़े गए सुसाइड नोट का भी संज्ञान लिया है जिसमें उसने सारा दोष अपने ऊपर ले लिया है। फिर भी, सत्र अदालत के फैसले के पैराग्राफ-16 से निकाले गए विचार से, अदालत ने यह विचार किया है कि मृतक ज्यादातर समय अकेले रहने के कारण अवसाद की स्थिति में रहा होगा और यह यातना के समान है। अपीलकर्ता को उच्च न्यायालय द्वारा धारा 498ए के तहत अपराध से बरी कर दिया गया है, और यह सही भी है। अभियोजन पक्ष आईपीसी की धारा 201 के तहत सामग्री को भी संतुष्ट नहीं कर पाया है। न तो सत्र न्यायालय और न ही उच्च न्यायालय के पास ऐसा कोई मामला है कि अपीलकर्ता द्वारा पुलिस को जानकारी देने में कोई जानबूझकर चूक की गई है। यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि अभियोजन पक्ष के पास अपीलकर्ता के खिलाफ आईपीसी की धारा 202 के तहत कोई मामला नहीं है।

21. जैसा कि इस न्यायालय ने **हनुमान और अन्य** **बनाम** **राजस्थान राज्य** मामले में कहा था, केवल यह तथ्य कि मृतक की कथित तौर पर अप्राकृतिक मृत्यु हुई, आईपीसी की धारा 201 के तहत आरोप लगाने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकता है। जब तक अभियोजन यह स्थापित करने में सक्षम नहीं हो जाता कि आरोपी व्यक्ति को पता था या उसके पास यह विश्वास करने का कारण था कि कोई अपराध किया गया है और उसने कुछ ऐसा किया है जिससे अपराध के सबूत गायब हो गए हैं, तो उसे दोषी नहीं ठहराया जा सकता है।

22. अपीलार्थी के विरूद्ध ऐसा कोई आरोप नहीं है। मृतक का अंतिम संस्कार उसके परिवार के सदस्यों की उपस्थिति में किया गया। उस समय उन्हें किसी अपराध के घटित होने का कोई संदेह नहीं था। निजी शिकायत तीन महीने से अधिक समय के बाद दर्ज की गई थी। ए आईपीसी की धारा 202 के तहत पुलिस को अप्राकृतिक मौत की जानकारी जानबूझकर देने से चूकने का कोई आरोप नहीं है। शिकायतकर्ता का मामला यह भी नहीं है कि उसने शव के पोस्टमार्टम के लिए अनुरोध किया था और अंतिम संस्कार करने से पहले पुलिस को सूचना दी जानी चाहिए थी।

23. उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों में, हमारा विचार है कि सत्र न्यायालय द्वारा आईपीसी की धारा 201 के तहत अपीलकर्ता को दोषी ठहराना और उच्च न्यायालय द्वारा इसे बरकरार रखना उचित नहीं है। तदनुसार, अपीलें स्वीकार की जाती हैं। आईपीसी की धारा 201 के तहत अपीलकर्ता की दोषसिद्धि को रद्द कर दिया गया है।

देविका गुजराल अपील की अनुमति.

आशीष तिवारी की देखरेख में आशा शुक्ला द्वारा अनुवादित।